पुनःश्च ४:25 बजे

पुनः बार बार पुकारें लगवाई गई। परिवादी अनुपस्थित है। उसकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं है। परिवादी की अनुपस्थिति का कोई भी पर्याप्त कारण न्यायालय के समक्ष विद्यमान नहीं है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।यह प्रकरण दिनांक 11.4.2008 को प्रस्तृत किया गया है जो तभी से आरोपी की उपस्थिति हेतू नियत है। परिवादी पक्ष को न्यायालय द्वारा बार बार यह निर्देशित किया जा रहा है कि वे आरोपी की उपस्थिति हेतू आदेशिका शूल्क सहित तलवाना अदा करें जिससे गिरफतारी वारंट जारी किया जा सके किंतू परिवादी पक्ष द्वारा उक्त न्यायालयीन निर्देश की उपेक्षापूर्वक कोई पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अनावश्यक लंबित है। विगत तिथि पर भी परिवादी पक्ष को यह निर्देशित किया गया था कि वे विधिवत तलवाना अदा करे। उक्त निर्देश के बाद आज भी परिवादी बिना किसी दर्शित कारण के अनुपरिथत है। उसकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि परिवादी पक्ष द्वारा न्यायालयीन आदेश के पालन में आदेशिका फीस अदा की गई हो। वर्तमान प्रकरण परिवाद पर संस्थित शमनप्रकृति का प्रकरण है और मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश आपराधिक के अनुसार ऐसे प्रकरणों में परिवादी द्वारा आदेशिका शूल्क अदा किया जाना आवश्यक होता है। किंतू इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा उचित समय के अंदर उक्त फीस अदा नहीं की गई है जिसके कारण परिवादी की उपस्थिति हेतू कार्यवाही नहीं हो सकी है। अतः यह प्रकरण अब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204(4) के अंतर्गत खारिज किया जाता है।

परिणाम दर्ज कर प्रकरण समयावधि के भीतर अभिलेखागार में जमा किया जावे। **हस्ता./**— (सचिन ज्योतिषी) न्या0मजि0प्र0श्रे0बालाघाट